न्यायालय सिविल जज (सी.डि.)/ कैराना जिला शामली ।

सिविल वाद सं–81/2025

श्रीमती बिलकीश **बनाम** सुफियान।

दिनांक–20.07.2026

निस्तारण प्रार्थनापत्र कागज सं.–29 क

पत्रावली आज पेश हुई। पुकार पर पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते निस्तारण कागज सं.–29 क नियत है। सुलहनामा कागज सं.– 29 क पर पक्षकारों को सुना गया।

कागज सं.– 29 क सुलहनामा पक्षकारों द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि...

1– यह कि प्रतिवादी के पक्ष में जो दान पत्र वादीया द्वारा दिनांक–05.07.2025 को उपनिबन्धक कार्यालय कैराना में बही सं–01 जिल्द सं–8961 पृष्ठ सं–55 से 72 तक क्रमांक 8992 पर दिनांक 05.07.2025 को पंजीकृत कराया है, के आधार पर कभी भी अपने अधिकारों को क्लेम नहीं करेगा और उक्त दस्तावेज शून्य घोषित किया जाकर उसकी सूचना उपनिबन्धक कार्यालय को भेजी जावे।

2– यह कि विवादित संपत्ति पर कब्जा वादीया का है और रहेगा। प्रतिवादी उसमें कभी अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

3– यह कि खरचा वाद उक्त फरीकैन अपना–अपना स्वयं वहन करेंगे।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

उभयपक्षों द्वारा राजीनामा की शर्तों को स्वेच्छया स्वीकार किया गया है। उभयपक्ष की शिनाख्त जरिये अधिवक्ता किये जाने पर राजीनामा कागज संख्या 29 क न्यायालय द्वारा दिनांक 20.07.2026 को तस्दीक किया गया। प्रश्नगत सम्पत्तियों पर स्वामित्व हेतु दस्तावेज सूची के साथ दाखिल है। संधिपत्र एवं उभयपक्ष के अभिकथनों से एवं माननीय उच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था **K.N Misra and S. Aaghir Ahmad, AIR 1986 Allahabad 244**. के अनुक्रम में राजीनामा दुरभिसंधि पूर्ण प्रतीत नहीं होता है। अतः राजीनामा कागज सं 29 क की शर्तों के आधार पर दावा आज्ञप्त किये जाने योग्य है।

आदेश

राजीनामा कागज सं० 29 क के आधार पर दावा वादी आज्ञप्त किया जाता है। राजीनामा आज्ञप्ति का अंश होगा। यह निर्णय़ केवल पक्षकारों व उनके विधिक प्रतिनिधि पर ही प्रभावी होगा। इस निर्णय के प्रभाव स्वरूप अन्य किसी विधिक प्रतिनिधि किसी पर –व्यक्ति के अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा न ही किसी सरकारी सम्पत्ति का अन्तरण होगा, न उससे किसी स्वत्व का सृजन ही होगा। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्णय के प्रभावस्वरूप सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, रजिस्ट्रेशन एक्ट एवं भूमि व राजस्व अधिनियम से संबंधित वांछित विधिक प्रक्रिया व देय राजस्व पर इस निर्णय का किसी तरह से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। नियमानुसार डिक्री बनायी जाये। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(गंधर्व पटेल)

सिविल जज (सी.डि.), कैराना।

(J.O.CODE–UP3207)